संख्या-34/2026/333के-2/22-3-2025-17(90)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 27 जनवरी, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी मनोज प्रजापति पुत्र श्री खुशीराम, निवासी जनपद- फिरोजाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-35546/प्रो0-7/सीमित/एम0-30.11.2023 दिनांक-11.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी मनोज प्रजापति पुत्र श्री खुशीराम, निवासी ग्राम-शेरपुर मदनपुर, थाना-सिरसागंज, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। वादी रामबहादुर के अनुसार घटना दिनांक 30.04.2014 को वादी की पत्नी/पीड़िता उम्र करीब 25 वर्ष घर से जंगल में अकेले शौच करने के लिए गयी थी, तो वही पर अभियुक्त मनोज आ गया और मारपीट करते हुए तथा जान से मारने की धमकी देते हुए बुरा काम करने की नीयत से पीड़िता को जमीन पर गिरा लिया। पीड़िता के चिल्लाने पर वही काम कर रहे हरेश बाबू व कुवंरपाल नामक 02 व्यक्ति आ गये और तभी अभियुक्त वहाँ से भाग गया। उक्त अपराध में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-470/2015 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-376, 506 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-01, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 10.11.2020 द्वारा 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.07.2023 तक 05 वर्ष, 03 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष, 11 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 37 वर्ष, 04 माह, 28 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई के समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के जेल से छूटने पर पुनः अपराध से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मनोज प्रजापति पुत्र श्री खुशीराम को फार्म-ए/लाईसेन्स के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मनोज प्रजापति (बन्दी संख्या-19196) पुत्र श्री खुशीराम, निवासी जनपद-फिरोजाबाद को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-34/2026/333के-2/22-3-2025-17(90)/2024

दिनांक 27 जनवरी, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी मनोज प्रजापति पुत्र श्री खुशीराम, निवासी ग्राम-शेरपुर मदनपुर, थाना-सिरसागंज, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। वादी रामबहादुर के अनुसार घटना दिनांक 30.04.2014 को वादी की पत्नी/पीडिता उम्र करीब 25 वर्ष घर से जंगल में अकेले शौच करने के लिए गयी थी, तो वही पर अभियुक्त मनोज आ गया और मारपीट करते हुए तथा जान से मारने की धमकी देते हुए बुरा काम करने की नीयत से पीडिता को जमीन पर गिरा लिया। पीडिता के चिल्लाने पर वही काम कर रहे हरेश बाबू व कुवंरपाल नामक 02 व्यक्ति आ गये और तभी अभियुक्त वहॉ से भाग गया। उक्त अपराध में बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-470/2015 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-376, 506 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-01, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 10.11.2020 द्वारा 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.07.2023 तक 05 वर्ष, 03 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष, 11 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 37 वर्ष, 04 माह, 28 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई के समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के जेल से छूटने पर पुनः अपराध से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मनोज प्रजापति पुत्र श्री खुशीराम को फार्म-ए/लाईसेन्स के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।